संख्या-35/2019-सा-3-899/दस-2019-840(1)/2019

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 दिसम्बर, 2019

विषयः- राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / प्राधिकरणों आदि के कर्मचारियों की भविष्य निधियों का प्रबन्धन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों स्वायत्तशासी संस्थाओं / प्राधिकरणों आदि में से कुछ उपक्रमों / संस्थओं के कर्मचारीगण कन्ट्रीब्यूटरी प्रॉविडेण्ट फण्ड (सी0पी0एफ0) से तथा कुछ उपक्रमों / संस्थाओं के कर्मचारीगण इम्प्लाईज प्रॉविडेण्ट फण्ड (ई0पी0एफ0) से आच्छादित हैं।

2- जिन संस्थाओं में ई0पी0एफ0 योजना लागू है, उनके कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 की धनराशि का प्रबन्धन भारत सरकार की संस्था-कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई0पी0एफ0ओ0) द्वारा किया जाता है, परन्तु कुछ संस्थाओं द्वारा ई0पी0एफ0ओ0 से छूट प्राप्त कर संस्था के स्तर पर गठित ई0पी0एफ0 ट्रस्ट के माध्यम से ई0पी0एफ0 की धनराशि का प्रबन्धन किया जा रहा है। ऐसी संस्थाओं जिनमें सी0पी0एफ0 योजना लागू है, उनमें संस्था के स्तर पर गठित सी0पी0एफ0 ट्रस्ट अथवा इनवेस्टमेण्ट कमेटी आदि द्वारा सी0पी0एफ0 की धनराशि का प्रबन्धन किया जाता है।

3- वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भविष्य निधियों के निवेश के संबंध में अंतिम बार अधिसूचना संख्या-11/14/2013-पी0आर0, दिनांक 02 मार्च, 2015 द्वारा दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। यह अपेक्षित है कि सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार भविष्य निधियों का निवेश किया जायेगा तथा दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अनुमन्य निवेश सतर्कतापूर्वक इस प्रकार किया जाये कि भविष्य निधियों की धनराशि पूर्णतया सुरक्षित रहे । 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासकीय विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिवों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये-

(1) संस्थाओं के स्तर पर गठित ट्रस्ट /इन्वेस्टमेण्ट कमेटी आदि में संस्था के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाये।

(2) भविष्य निधियों के निवेश के संबंध में सम्प्रति प्रभावी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-11/14/2013-पी0आर0, दिनांक 02 मार्च, 2015 है (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(3) यदि पूर्व में ऐसा कोई निवेश किया गया है जिसमें निवेशित धनराशि एवं ब्याज की वापसी संदिग्ध हो तो ऐसी धनराशि तत्काल प्रत्याहरित कर भविष्य निधियों का निवेश ऐसी संस्थाओं में किया जाये जहां से निवेशित धनराशि एवं ब्याज की वापसी संदिग्ध न हो।

(4) यदि किन्हीं कारणों से निवेश की गयी किसी धनराशि की वापसी अवरूद्ध हो गयी है तो ऐसे प्रकरणों में प्रभावी प्रयास करके धनराशि की वापसी (रिकवरी) सुनिश्चित कराई जाये।

(5) जिन मामलों में निवेशित धनराशि अथवा ब्याज की वापसी ओवरड्यू हो गयी है, अथवा जिन मामलों में निजी संस्थाओं में निवेश किये गये हैं, उनके संबंध में यह जांच भी करा ली जाये कि निवेश निर्धारित गाइडलाईन्स व नियमों के अनुसार हुआ है अथवा नहीं। अनियमित निवेश करने वाले अधिकारियों/ व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से एक माह के अन्दर अवगत कराया जाये।

(6) जिन संस्थाओं द्वारा ई0पी0एफ0ओ0 से छूट लेकर ई0पी0एफ0 ट्रस्ट का गठन किया गया है, उनके द्वारा ट्रस्ट के स्थान पर ई0पी0एफ0ओ0 के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधियों का प्रबन्धन सुनिश्चत किया जाये।

3- कृपया उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

संख्या-35/2019-सा-3-899(1)/दस-2019-840(1)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,
नील रत्न कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।